

ठेके की अतिरिक्त शर्तें

निम्नलिखित खंड तकनीकी विनिर्देश NIT/e-DPS-P-102/DPS-P-103/DPS-P-100 के प्रावधानों के अधिभावी होंगे :

1. DPS-P-100 प्ररूप 2019-1 के भाग-ए में DPS-P-100 के अंतर्गत खंड संख्या 20 को निकाल दिया जाता है।
2. DPS-P-100 प्ररूप 2019-1 के भाग-बी के खंड संख्या 7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

7.1 INR मात्र के ठेकों के लिए

- 7.1.1 जबतक एनआईटी में कहीं भी, अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, भंडार का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :

ठेके के कुल मूल्य का 80% जिसमें संस्थापन एवं कमीशनन प्रभार, यदि लागू हों, तो वे शामिल नहीं हैं। इस राशि का भुगतान समस्त परेषण की प्राप्ति और क्रेता के निरीक्षक द्वारा निरीक्षण संपन्न करने के उपरांत किया जायेगा।

शेष राशि का भुगतान अंतिम निरीक्षण, परीक्षण एवं स्वीकृति तथा पीबीबीजी के जमा किये जाने एवं उसकी स्वीकृति के पश्चात् किया जायेगा।

7.2 INR से भिन्न मुद्रा के ठेकों के लिए

- 7.2.1 जब तक कि एनआईटी में, कहीं भी, अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, भंडार का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :

ठेके के कुल मूल्य का 80% जिसमें संस्थापन एवं कमीशनन प्रभार, यदि लागू हों, तो वे शामिल नहीं हैं। यह भुगतान निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जाने पर अपरिवर्तनीय साख पत्र के माध्यम से किया जायेगा :

1. लदान बिल/शिपमेन्ट के प्रमाणस्वरूप परक्राम्य हवाई बिल
2. शिपमेन्ट हेतु बीजक : चार प्रतियाँ
3. पैकिंग सूची : चार प्रतियाँ
4. निरीक्षण, यदि लागू हो, तो उस प्रयोजन हेतु क्रेता द्वारा नामित निरीक्षक या गुणवत्ता निगरानी एजेंसी से प्राप्त शिपिंग रिलीज।
5. क्रेता से प्राप्त शिपिंग प्राधिकार, जहाँ भी आवश्यक हो।

- 7.2.7 शेष भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जायेगा। यह भुगतान अंतिम स्वीकृति, संस्थापन एवं कमीशनन, जहाँ भी लागू हो, एवं स्वीकृति तथा निष्पादन बैंक गारंटी के जमा किये जाने एवं उसकी स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा।

यह बैंक गारंटी, धारा सी, भाग-ए, खंड संख्या 7 में यथा वर्णित, कार्य निष्पादन बंधपत्र के रूप में, भंडार से संबंधित ठेके के मूल्य के 10% राशि के बराबर होनी चाहिये।